

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2015—आषाढ़ 30, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्र. 16056-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २०१५

३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१५ है।

३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से ३,०२,७८,८८,४६४ रुपयों का दिया जाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१)	(२)	(३)
अनुदान	सेवाएँ और प्रयोजन	आधिक्य
क्रमांक		
		मतदत्त भारित योग
		रुपये रुपये रुपये

व्याज भुगतान एवं ऋण सेवा

राजस्व ८,८३,७७,२२६ ८,८३,७७,२२६

७ वाणिज्यिक कर

राजस्व २३,३५,१७० ० २३,३५,१७०

२० लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

राजस्व ९५,५१,७६,३७८ ९५,५१,७६,३७८

२० लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

पूँजीगत ९०,३९,७२३ ९०,३९,७२३

२१ आवास एवं पर्यावरण

पूँजीगत ४,१०,९९,५२२ ४,१०,९९,५२२

२४	लोक निर्माण (सड़क तथा पुल)	राजस्व	४१,०७,१६,७८३	०	४१,०७,१६,७८३
२७	स्कूल शिक्षा	राजस्व	५४,१५,०९,६९३		५४,१५,०९,६९३
३१	योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी	राजस्व		४,५३२	४,५३२
५८	प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय (राजस्व).	राजस्व	३८,४७,१९,५६८		३८,४७,१९,५६८
६१	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण).	पूँजीगत	७३,३१,३६१		७३,३१,३६१
६७	लोक निर्माण (भवन)	राजस्व	५८,६८,१८,८८४	२,६७,०२४	५८,७०,८५,९०८
६९	नगरीय प्रशासन एवं विकास	पूँजीगत	४,९२,६००		४,९२,६००
योग	राजस्व	२,८८,१२,७६,४७६	८,८६,४८,७८२	२,९६,९९,२५,२५८	
	पूँजीगत	५,७९,६३,२०६	०	५,७९,६३,२०६	
कुल योग :		२,९३,१२,३९,६८२	८,८६,४८,७८२	३,०२,७८,८८,४६४	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरस्थापित किया जा रहा है, जो उक्ता निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च सन् १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १९ जुलाई, २०१५

जयन्त मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

भगवान्देव इंसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.